me next ... कॅरियर की उड़ान

कौनसा कॅरियर चुनें, कैसे करें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आदि सवालों का जवाब यदि आप तलाश रहे हैं, तो नीचे दिए गए वॉट्सऐप नंबर पर हमें मैसेज करें। हमारे एजुकेशन एक्सपर्ट करेंगे आपका मार्गदर्शन। सवाल के साथ अपनी रुचि एवं योग्यता के बारे में अवश्य लिखें।

पत्रिका career परामर्श

वॉट्सऐप नंबर 9057531584

सरकारी भर्ती

12वीं पास युवाओं के लिए ISRO में नौकरी का मौका

पत्रिका फीचर डेस्क
patrika.com

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर, बेंगलूरु ने 410 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS) पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 29 अगस्त 2026 तय की गई है।

410 पदों पर भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 220 पद, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के 120 पद और कॉमर्शियल अप्रेंटिस के 70 पद शामिल हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 12,300 रुपए और टेक्नीशियन व कॉमर्शियल अप्रेंटिस को 10,900 रुपए मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग होगी।

बिना परीक्षा चयन

इस भर्ती की खास बात यह है कि चयन लिखित परीक्षा के बजाय एकेडमिक मेरिट के आधार पर किया जाएगा। डिग्री या डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा और सफल अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्टर्ड क्रेडेंशियल से लॉगिन कर अप्रेंटिसशिप लिस्टिंग में RSC ISRO सर्च करें। अपनी योग्यता के अनुसार पद चुनकर आवेदन फॉर्म में जानकारी भरें। जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और कंफर्मेशन पेज सुरक्षित रख लें।

युवाओं के लिए बड़ा अवसर

ISRO में अप्रेंटिसशिप युवाओं को प्रतिष्ठित अंतरिक्ष संस्थान के कार्य वातावरण को करीब से समझने और व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का अवसर दे सकती है। योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन करें।

कॅरियर नॉलेज

वंदे भारत के लोको पायलट का ऐसे होता है चयन

पत्रिका फीचर डेस्क
patrika.com

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने के लिए लोको पायलट से तेज निर्णय लेने, तकनीकी जानकारी और बेहतर सतर्कता की अपेक्षा होती है। रेलवे अनुभवी और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले ड्राइवरों को इसकी जिम्मेदारी देता है।

कितनी सैलरी?

वंदे भारत के लोको पायलट को लेवल-6 या लेवल-7 के तहत वेतन मिलता है। विभिन्न भत्तों को मिलाकर इन-हैंड सैलरी करीब 90 हजार से 1.20 लाख रुपए महीने तक हो सकती है। रनिंग अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, ओवरटाइम, महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस जैसे लाभ मिलते हैं।

क्या हो योग्यता?

ALP के लिए उम्मीदवार के पास 10वीं पास होने के साथ संबंधित ट्रेड में ITI, डिप्लोमा या बीटेक जैसी निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस भी जरूरी है।

सीधे नहीं बन सकते

वंदे भारत के लिए सीधे लोको पायलट बनने का विकल्प नहीं है। उम्मीदवार को पहले RRB ALP (असिस्टेंट लोको पायलट) की परीक्षा पास करनी होती है। इसके बाद रेलवे में अनुभव हासिल करते हुए वरिष्ठ लोको पायलट के पद तक पहुंचना होता है।

मेडिकल व ट्रेनिंग जरूरी

मेडिकल टेस्ट में आंखों की रोशनी और रंग पहचानने की क्षमता सहित निर्धारित स्वास्थ्य मानकों को पूरा करना होता है। विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें सिम्युलेटर, डिजिटल डैशबोर्ड, क्विक रिफ्लेक्स और निर्णय लेने का अभ्यास शामिल होता है।

भारतीय सेना

सेना की इंटर्नशिप में मिलेगा 75,000 रुपए तक स्टाइपेंड

पत्रिका फीचर डेस्क
patrika.com

भारतीय सेना पत्रकारिता एवं जनसंचार के छात्रों के लिए 75 दिनों का विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। यह कार्यक्रम सेना के अतिरिक्त महानिदेशालय की ओर से AICTE इंटर्नशिप पोर्टल के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इसमें छात्रों को रणनीतिक संचार, मीडिया प्लानिंग और रक्षा क्षेत्र में कम्युनिकेशन की व्यावहारिक ट्रेनिंग मिलेगी।

- **75 दिनों का होगा ट्रेनिंग प्रोग्राम:** यह कार्यक्रम बीजेएमसी यानी पत्रकारिता एवं जनसंचार के छात्रों के लिए है। पहले 15 दिन ऑनलाइन और अगले 60 दिन दिल्ली में ऑफलाइन ट्रेनिंग होगी। कार्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों को 15 अकादमिक क्रेडिट मिलेंगे। ट्रेनिंग में डिजिटल कंटेंट, मीडिया रिसर्च, सोशल मीडिया कैंपेन, डिजिटल स्टोरीटेलिंग और ऑडियंस कम्युनिकेशन जैसे विषय शामिल होंगे।
- **75,000 रुपए तक स्टाइपेंड:** चयनित छात्रों को हर महीने 30,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। पूरी अवधि की शर्तें पूरी करने पर 75,000 रुपए तक स्टाइपेंड मिल सकता है। नियमित उपस्थिति व अनुशासन जरूरी है। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति पर वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा।
- **नियमों का करना होगा पालन:** इंटर्नशिप के दौरान सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक प्रशिक्षण होगा। कार्यालय में स्मार्टफोन और लैपटॉप ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए 2 अगस्त यानी आज आवेदन का अंतिम मौका है।

एग्जाम गाइड

1. कौनसा शहर पीले पत्थर के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है?
(अ) पाली (ब) बूंदी (स) अजमेर (द) जैसलमेर

2. हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले है?
(अ) कालीबंगा (ब) धौलावीरा
(स) कोटदीजी (द) अमरी

3. निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिर के लिए कौनसा प्रसिद्ध है?
(अ) एलीफेंटा (ब) नालंदा (स) अजंता (द) खजुराहो

4. 'अरब सागर की रानी' किस नगर को कहा जाता है?
(अ) मुम्बई (ब) पणजी (स) सूरत (द) कोच्चि

5. भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को कब अधिनियमित किया?
(अ) 23 दिसम्बर, 2005 (ब) 11 मई, 2004
(स) 1 अगस्त, 2006 (द) 30 जनवरी, 2002

उत्तरमाला: 1.द 2.ब 3.स 4.द 5.अ

30 हजार हेक्टेयर में बोई गई खरीफ फसल पर संकट, बहोरीबंद जलाशय में 32 फीट क्षमता के मुकाबले 17 फीट पानी शेष

सावन में भी सूखे खेत, आधे खाली हुए जलाशय, किसानों की बढ़ी चिंता

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बहोरीबंद. श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बहोरीबंद विकासखंड में मानसून की बेरुखी से किसानों की चिंता बढ़ गई है। आषाढ़ बीतने के बाद भी क्षेत्र में अच्छी बारिश नहीं होने से खेत सूने पड़े हैं और धान सहित खरीफ फसलों की रोपाई प्रभावित हो रही है। बारिश नहीं होने के कारण क्षेत्र के अधिकांश जलाशयों का जलस्तर भी लगातार घट रहा है।

किसानों का कहना है कि जब तक जोरदार बारिश नहीं होती, तब तक धान सहित खरीफ की प्रमुख फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिल सकेगा। मजबूरी में सिंचाई के लिए जलाशयों से नहरों के माध्यम से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे जलाशय तेजी से खाली हो रहे हैं। विकासखंड के बहोरीबंद, रूपनाथ, रामपाटन, छपरी, मंशधा, सकरवारा, खलहरा, सलैया, जुझारी, हिनौती, शांतिनगर, देवरी (मवई) और सिलपुरी सहित अधिकांश जलाशयों में पानी का स्तर काफी कम हो गया है। हालांकि कौड़ियां जलाशय इस बार अपवाद बना हुआ है, जहां पर्याप्त पानी होने की बात ग्रामीण बता रहे हैं। जानकारी के अनुसार विकासखंड में करीब 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुवाई की गई है। किसानों को फिलहाल नहरों के माध्यम से सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के एसडीओ एलएन तिवारी ने बताया कि किसानों की जरूरत को देखते हुए नहरों से सिंचाई का पानी छोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि बहोरीबंद जलाशय की कुल क्षमता 32 फीट है, जबकि वर्तमान में इसमें केवल 17 फीट पानी शेष है। यदि जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो सिंचाई व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ सकता है।

सूखे पड़े खेत और खाली जलाशय।

हनुमान मंदिर में अखंड रामचरितमानस पाठ प्रारंभ

स्लीमनाबाद. पवित्र श्रावण मास के शुभारंभ के साथ ही स्लीमनाबाद स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में अखंड रामचरितमानस पाठ का शुभारंभ हो गया। धार्मिक वातावरण के बीच विधि-विधान से शुरू हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पूजा-अर्चना की। मंदिर समिति के अनुसार अखंड रामचरितमानस पाठ पूरे सावन माह तक निरंतर चलेगा। इस दौरान प्रतिदिन श्रद्धालु भगवान श्रीराम और हनुमान जी की आराधना के साथ रामचरितमानस का श्रवण कर सकेंगे। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई हैं।

सामाजिक सरोकार और पर्यावरण संरक्षण पर हुई चर्चा

तेवरी. मानव अधिकार परिषद की जिला ग्रामीण इकाई की बैठक शनिवार को ग्राम पंचायत तेवरी में आयोजित की गई। बैठक में संगठन के विस्तार, सामाजिक सरोकारों और जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। इसके बाद परिषद के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने राजबाग परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम का नेतृत्व तहसील अध्यक्ष महेंद्र द्विवेदी ने किया। इस दौरान विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी से ही संभव है। बैठक में जिला अध्यक्ष भरत तिवारी, जिला महासचिव राजेश हल्दकार, हर्ष द्विवेदी, सुनील हल्दकार,सुरेंद्र पांडेय, अनिल महोबिया, अजय हल्दकार, अखिलेश श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

बारिश में टूट जाता है शांतिनगर का संपर्क, बुजुर्ग, छात्र और बीमार होते हैं परेशान

कीचड़ में तब्दील हुई एक किलोमीटर सड़क, मरीजों को खाट पर ले जाना पड़ता है अस्पताल

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बहोरीबंद. आजादी के आठ दशक बाद भी बहोरीबंद विकासखंड के कई गांव बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्राम पंचायत डिहूटा के आश्रित आदिवासी बाहुल्य शांतिनगर इसका जीता-जागता उदाहरण है। यहां डिहूटा-गताखेड़ा मुख्य मार्ग से गांव तक की महज एक किलोमीटर सड़क बारिश शुरू होते ही दलदल में बदल जाती है। जगह-जगह बने गहरे गड्ढों में पानी भर जाने और कीचड़ फैलने से गांव का संपर्क लगभग कट जाता है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को उठानी पड़ रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से सड़क की हालत नहीं सुधरी। बारिश के दिनों में दोपहिया वाहन तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। कई जगह लोग फिसलकर गिर जाते हैं। गांव तक एंबुलेंस नहीं पहुंच पाने से मरीजों को चारपाई या पलंग पर उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। शांतिनगर के बच्चे प्रतिदिन डिहूटा स्थित स्कूल पढ़ने जाते हैं, लेकिन बारिश के दौरान खराब सड़क में दुर्घटना के डर से बच्चे कई दिन तक स्कूल नहीं जा पाते। वहीं किसान भी अपनी उपज और जरूरी सामान लेकर बाजार तक आसानी से नहीं पहुंच पाते।

अधिकारियों को कई पत्र भेजे-गांव के लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण की मांग कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के सामने रखी जा चुकी है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। परिणाम यह है कि हर मानसून में पूरा गांव मुश्किलों के बीच जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। डिहूटा की सरपंच नीलू संतोष लोधी ने बताया कि शांतिनगर मार्ग के निर्माण के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजे गए हैं, लेकिन अब तक सड़क निर्माण की स्वीकृति नहीं मिली। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के दिनों में होती है। वहीं जनपद पंचायत बहोरीबंद के सीईओ अभिषेक कुमार ने कहा कि अभी सड़क निर्माण संभव नहीं है। बारिश बाद मार्ग का सर्वे कराया जाएगा।

ग्रामीणों ने बताई परेशानी

बारिश शुरू होते ही गांव का रास्ता बंद जैसा हो जाता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और बहोरीबंद तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। जरूरी काम भी टालने पड़ते हैं।
कुंजा गौड़, रहवासी

शादी के बाद से इसी गांव में रह रही हूं। तब से आज तक सड़क की हालत नहीं बदली। बीमार होने पर पहले किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंचते हैं।
अभिलाषा रजक, रहवासी

गांव में एंबुलेंस नहीं पहुंचती। अगर कोई गंभीर बीमार हो जाए अस्पताल ले जाने के लिए चारपाई पर उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है।
अशोक आदिवासी, रहवासी

सड़क खराब होने की वजह से कई बार मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए। इलाज में देरी के कारण अब तक कई लोगों की जान तक जा चुकी है पर सड़क नहीं बन सकी।
रामरतन रजक, रहवासी

बारिश में पूरा रास्ता दलदल बन जाता है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे पलंग पर लिटाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। गांव बुनियादी सुविधा का इंतजार कर रहा है।
आनंद कुमार, रहवासी

झंडा चौक की उखड़ी सड़क हुई दुरुस्त

उमरियापान@पत्रिका. नगर के व्यस्ततम झंडा चौक पर चार महीने से परेशानी का कारण बनी खोदी गई सड़क आखिरकार दुरुस्त कर दी गई है। केबल बिछाने के दौरान बीएसएनएल द्वारा खोदी गई सड़क की मरम्मत नहीं होने से राहगीरों और वाहन चालकों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद संबंधित विभाग हरकत में आया और सड़क की मरम्मत करा दी गई। जानकारी के अनुसार, बीएसएनएल ने केबल बिछाने के लिए रात के समय पक्की सड़क की खुदाई कराई थी। काम पूरा होने के बाद सड़क को पहले जैसी स्थिति में नहीं लौटाया गया, जिससे वहां बड़े-बड़े गड्ढे बन गए। बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी भरने से दोपहिया वाहन चालक फिसल रहे थे और दुर्घटना का खतरा लगातार बना हुआ था। झंडा चौक नगर का प्रमुख बाजार क्षेत्र होने के कारण यहां दिनभर भारी आवाजाही रहती है। समस्या को पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग ने बीएसएनएल अधिकारियों से समन्वय कर सड़क की मरम्मत कराई।

जिला संयोजक ने किया निरीक्षण

छात्रावास पहुंचे अफसर, एक सप्ताह में सुधार के निर्देश

कन्या छात्रावास का निरीक्षण करते अधिकारी।

ढीमरखेड़ा. शासकीय सीनियर कन्या छात्रावास में अव्यवस्थाओं को लेकर पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। शनिवार को जिला संयोजक विमल चौरसिया ने छात्रावास का निरीक्षण कर छात्राओं से संवाद किया और समस्याएं सुनीं। अधीक्षिका को एक सप्ताह के भीतर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इससे पहले एसडीएम निधि गोहल ने छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया था। उस दौरान छात्राओं ने भोजन, साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर कई गंभीर शिकायतें रखी थीं। निरीक्षण के बाद एसडीएम ने मामले की जानकारी कलेक्टर को दी और अधीक्षिका को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। क्षेत्र के सभी छात्रावासों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए थे। जिला संयोजक विमल चौरसिया ने बताया कि एक सप्ताह में व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो अधीक्षिका पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भी पहुंचे

जिला संयोजक ने शासकीय अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास का भी निरीक्षण किया। यहां अधीक्षिका जागृति लिलहारे ने बताया कि छात्रावास की बाउंड्रीवाल क्षतिग्रस्त होने से मवेशी परिसर में घुसकर गंदगी फैलाते हैं और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस पर जिला संयोजक ने आवश्यक मरम्मत कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने ढीमरखेड़ा और रामपुर के बालक छात्रावासों का भी जायजा लिया गया। ढीमरखेड़ा बालक छात्रावास में नवनिर्मित भवन की प्लिंथ भराई में काली मिट्टी का उपयोग होता देख जिला संयोजक ने नाराजगी जताई और तत्काल कार्य रुकवा दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि पहले पूरी काली मिट्टी हटाई जाए, उसका वीडियो प्रस्तुत किया जाए, उसके बाद ही निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया जाए।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

अंचल कार्यालय, झर्रा टिकुरिया प्रथम मंजिल आस्था प्लाजा, कटनी – 483501
Email- coktnsamd@pnb.bank.in

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और जमानतदारों/बंधककर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का प्रलक्षित/वास्तविक आधिपत्य/सांकेतिक आधिपत्य (इनमें से जो भी लागू होता हो) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जो है'', ''जहाँ है'', ''जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नलिखित उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों/बंधककर्ताओं से बैंक/प्रतिभूत लेनदार की निम्नलिखित रुपये की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम धनराशी निम्नलिखित है:

ई–नीलामी दिनांक एवं समय – 24.08.2026 दोपहर11:00 बजे से 05:00 बजे तक (आवश्यक होने पर सायंकल 05:30 बजे के बाद 10 मिनिट के अंतराल का विस्तार किया जाएगा)। ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक 23.08.2026 को रात्रि 11:00 बजे तक

निविदाकार अपने प्रस्ताव रू. 25,000/– (रूपए पच्चीस हज़ार मात्र) के गुणांक में बढ़ा सकेंगे

उधारकर्ता/जमानतदार/बंधककर्ता के नाम	अचल संपत्ति/प्रत्याभूत आस्ति का विवरण	अ) मांग सूचना दिनांक ब) आधिपत्य दिनांक स) आधिपत्य प्रकार द) बकाया राशि (मांग सूचना के अनुसार)	अ) आरक्षित मूल्य ब) धरोहर राशि स) ईएमडी जमा अंतिम दिनांक द) बिड वृद्धि राशि
1. शाखा : शहडोल रोड़, कटनी (म.प्र.) **उधारकर्ता: मेसर्स प्रिया सेल्स** **पार्टनर्स: 1) श्री शैलेंद्र गौर पिता श्री श्याम सुंदर गौर (पार्टनर, बंधककर्ता और जमानतदार), 2) श्री अंकुर गौर पिता श्री श्याम सुंदर गौर (पार्टनर, बंधककर्ता और जमानतदार), 5) श्री पीयूष गौर पिता श्री श्याम सुंदर गौर (बंधककर्ता और जमानतदार)** **पता: मेसर्स प्रिया सेल्स, अ)** होटल सेलिब्रेशन के पास, गर्ग चौराहा, हनुमान गंज, कटनी -483501 (म.प्र.), **ब)** श्याम कुंज, हनुमान गंज, कटनी -483501 (म.प्र.)	अचल संपत्ति के समस्त भू-भाग व अंश व्यवसायिक परिवर्तित उस पर निर्माण गाँव- मुरवारा, म्युनिसिपल हाउस नंबर 316, खसरा नंबर 1344/7 पी.एच. नंबर 43/45/2 एन.बी. 493 मुरवारा, गर्ग चौराहा के पास, हनुमान गंज वार्ड, वर्तमान में रघुनाथ गंज, कटनी। कुल क्षेत्रफल- 780 वर्ग फुट, निर्मित क्षेत्रफल- ग्राउंड फ्लोर क्षेत्रफल 590 वर्ग फुट, फर्स्ट फ्लोर क्षेत्रफल 780 वर्ग फुट, सेकंड फ्लोर क्षेत्रफल 780 वर्ग फुट, थर्ड फ्लोर क्षेत्रफल 780 वर्ग फुट, टाइटल डीड नंबर 09 दिनांक 03.04.2010: **चतुर्सीमा: उत्तर:** शहडोल रोड, **दक्षिण:** राम नारायण उर्फ राम त्रिपाठी का मकान, **पूर्व:** राम नारायण उर्फ राम त्रिपाठी की संपत्ति, **पश्चिम:** संतोष सिंह चौहान की संपत्ति	अ) 29.09.2025 ब) 31.12.2025 स) सांकेतिक आधिपत्य द) रू. 3,47,05,885.96 + ब्याज़ एवं अन्य व्यय	अ) 1,94,00,000/- ब) 19,40,000/- स) 24.08.2026 द) 25,000/-
2. शाखा : शहडोल रोड़, कटनी (म.प्र.) **उधारकर्ता: मेसर्स प्रिया सेल्स, पार्टनर्स: 1) श्री शैलेंद्र गौर पिता श्री श्याम सुंदर गौर (पार्टनर, बंधककर्ता और जमानतदार), 2) श्री अंकुर गौर पिता श्री श्याम सुंदर गौर (पार्टनर, बंधककर्ता और जमानतदार), 5) श्री पीयूष गौर पिता श्री श्याम सुंदर गौर (बंधककर्ता और जमानतदार), पता: मेसर्स प्रिया सेल्स, अ)** होटल सेलिब्रेशन के पास, गर्ग चौराहा, हनुमान गंज, कटनी -483501 (म.प्र.), **ब)** श्याम कुंज, हनुमान गंज, कटनी -483501 (म.प्र.)	बंधक अचल संपत्ति के समस्त भू-भाग व अंश व्यवसायिक परिवर्तित उस पर निर्माण ग्राम- मुरवारा, नगरपालिका एच नंबर 316, ख नंबर 1344/7 पीएच नंबर 43 एन.बी. 493 मुरवारा, गर्ग चौराहा के पास, हनुमान गंज वार्ड वर्तमान में रघुनाथ गंज, कटनी, जीएफ शॉप क्षेत्र 190 वर्ग फीट, टाइटल डीड नं. 190 वर्ग फीट, **चतुर्सीमा: पूर्व:** वेंडर का गलियारा, **पश्चिम:** संतोष सिंह की संपत्ति, **उत्तर:** शहडोल रोड, **दक्षिण:** मालिक की संपत्ति	अ) 29.09.2025 ब) 31.12.2025 स) सांकेतिक आधिपत्य द) रू. 3,47,05,885.96 + ब्याज़ एवं अन्य व्यय	अ) 60,56,000/- ब) 6,05,600/- स) 24.08.2026 द) 25,000/-
3 शाखा : शहडोल रोड़, कटनी (म.प्र.) **उधारकर्ता: मेसर्स प्रिया सेल्स,** **पार्टनर्स: 1) श्री शैलेंद्र गौर पिता श्री श्याम सुंदर गौर (पार्टनर, बंधककर्ता और जमानतदार), 2) श्रीमती शकुंतला गौर उर्फ शकुंत गौर पति श्री श्याम सुंदर गौर 3) श्री श्याम सुंदर गौर पिता श्री शिव दयाल गौर (पार्टनर, बंधककर्ता और जमानतदार)** **पता: मेसर्स प्रिया सेल्स,** **अ)** होटल सेलिब्रेशन के पास, गर्ग चौराहा, हनुमान गंज, कटनी -483501 (म.प्र.), **ब)** श्याम कुंज, हनुमान गंज, कटनी -483501 (म.प्र.)	**1.** अचल संपत्ति के समस्त भू-भाग व अंश परिवर्तित भूमि उस पर गांव खिरहानी, डायवर्जन ख 1486, म्यूटेशन के बाद खसरा नंबर 1486/6, एन.बी. नंबर 407, पी.एच. नंबर 44, मंडल मुरवारा कटनी, क्षेत्रफल 0.004 हेक्टेयर (480 वर्ग फुट), टाइटल डीड नंबर 2742, जो 29.09.1995 को रजिस्टर्ड, **चतुर्सीमा: उत्तर:** 20 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिण:** गणेश, बड़गैयां की संपत्ति, **पूर्व:** विक्रेता की संपत्ति, **पश्चिम:** संतोष तिवारी की संपत्ति **2.** अचल संपत्ति के समस्त भू-भाग व अंश परिवर्तित भूमि उस पर ग्राम खिरहनी, ख नं 1484/2/2, डायवर्सन ख 1484/2/ख, एनबी नं 407, पीएच नं.44, मंडल मुरवारा कटनी, क्षेत्रफल 0.050 हेक्टेयर, स्वामित्व विलेख सं. 2281 दिनांक 25.08.1995, **चतुर्सीमा: उत्तर:** श्रीमती सीतादेवी चौदाहा की भूमि, **दक्षिण:** श्रीमती कुसुमबाई बडगैयाँ की भूमि, **पूर्व:** धनीराम बडगैयाँ और गोपाल गुप्ता की भूमि, **पश्चिम:** प्रेमलाल पांडे की भूमि	अ) 29.09.2025 ब) 31.12.2025 स) सांकेतिक आधिपत्य द) रू. 3,47,05,885.96 + ब्याज़ एवं अन्य व्यय	अ) 37,74,000/- ब) 3,77,400/- स) 24.08.2026 द) 25,000/-

संपत्तियों पर भार जिनकी जानकारी प्रतिभूत लेनदार को है: जानकारी उपलब्ध नहीं है

सरफेसी अधिनियम 2002 व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत वैधानिक विक्रय सूचना

नियम एवं शर्तें: (1) विक्रय प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002के नियम व शर्तों के अधीन होगा तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा। **(2)** संपत्तियों की बिक्री ''**जो है, ''जहाँ है'', ''जो कुछ भी है'' के आधार** पर होगी। **(3)** ऊपर वर्णित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त जानकारी के आधार पर है।किन्तु प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि, गलत जानकारी, घोषणा में चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। **(4)** विक्रय अधिकृत ऑन लाइन ई-नीलामी सेवा प्रदाता के द्वारा वेबसाइट **https://baanknet.com** पर दिये गये दिनांक व समय पर किया जाएगा। **(5)** संपत्ति विक्रय से संबंधित नियम एवं शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट **www.pnbindia.in, https://baanknet.com** पर विजिट करें ।

स्थान: कटनी, दिनांक 01.08.2026 **पंजाब नेशनल बैंक प्राधिकृत अधिकारी**